80

विलोपित / विलोपित विलोपित / विलोपित

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर , सर्किट कोर्ट रीवा,

नि/0510/2017/4599 जिला-रीवा (म0प्र0) Rs.301

विलोपित / विलोपित विलोपित / विलोपित विलोपित / विलोपित

हरिहर प्रसाद कुम्हार तनय शम्भनाथ कुम्हार , उम्र-57 वर्ष,

पेशा- खेती , नि0 ग्रा0 खटोली , पुलिस थाना जियावन , तह0

देवसर , जिला- सिंगरौली (म0प्र0) ---आवेदक/निगरानी कर्ता

अधि0 श्री एन0के0 मिश्रा
द्वारा पेश / 22-11-17

बनाम

म0प्र0 शासन ----- -----अनावेदक/गैर निगरानी कर्ता

क्लर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरूद्ध आदेश श्री अमर सिंह बघेल
अपर कमिश्नर कैम्प न्याया0 सीधी , रीवा
संभाग रीवा (म0प्र0) द्वारा प्रक0क्र0-1437/
अपील/ 2010-11 में आदेश दि0 27-09-17.

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0

महोदय,

निगरानी/आवेदक के आधार अन्य के अतिरिक्त निम्नलिखित हैं:

(1) यह कि विद्वान मातहत अदालत द्वारा पारित आलोच्य आदेश नैसर्गिक न्यायसिद्धांत एवं विधि प्रक्रिया के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

(2) यह कि निगराकार ने विचारण न्यायालय तहसीलदार देवसर के समक्ष मौजा खटोली की आ0 नं0 804/1 रकवा 0.75ए0, 1655 रकवा 0.11ए0 1656 रकवा 0.01ए0, 1657 रकवा 1.05ए0, 1658 रकवा 0.75ए0 कुल किता पांच जुमला रकवा 2.68 ए0 का दखल रहित भूमियों पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना विशेष उपबंध अधि0 1984 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था । जिस पर तत्कालीन तहसीलदार महोदय ने संबंधित हल्का पटवारी के प्रतिवेदन एवं प्रस्तुत राजस्व अभिलेख के आधार पर वादित भूमि में आवेदक / निगराकार का कब्जा दखल पाते हुए दिनांक 24-04-2004 को व्यवस्थापन/पट्टा

हरिहरप्रसाद

क्रमशः...

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक–दो / निग. / 2017 / 4595 जिला–रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28.05.18	आवेदक अधिवक्ता श्री एन. के. मिश्रा उपस्थित होकर उनके द्वारा यह निगरानी श्री अमर सिंह बघेल अपर कमिश्नर श्रंखला न्यायालय सीधी, रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 1437 / अपील / 2010–11 में पारित आदेश दिनांक 27.09. 2017 के विरूद्ध म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम खन्धौली स्थित आराजी खसरा नंबर 804 / 1 रकबा 0.75 एकड़, 1655 रकबा 0.11 एकड, 1656 रकबा 0.01 एकड, 1657 रकबा 1.05 एकड, 1658 रकबा 0.75 एकड कुल 05 किता कुल रकबा 2.68 एकड भूमि का व्यवस्थापन किये जाने का आवेदन आवेदक द्वारा दखल रहित भूमियों पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदाय किया जाना विशेष उपबंध अधिनियम 1984 के अंतर्गत तहसीलदार तहसील देवसर के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार देवसर ने प्रक्ररण कमांक 14 / अ–19(4) / 2003–04 में पारित आदेश दिनांक 24.04. 2004 को आवेदक का आवेदन आंशिक रूप से रकबा 1.78 एकड़ भूमि का व्यवस्थापन स्वीकार किया गया। तत्पश्चात	बा

तहसीलदार ने त्रुटिपूर्ण आदेश पारित होने के फलस्वरूप अपीलार्थी को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया कि क्यों न उक्त व्यवस्थापन आदेश निरस्त कर दिया जाए। अपीलार्थी का जबाव लेते हुए पूर्व में पारित व्यवस्थापन आदेश दिनांक 24.04.2004 को दिनांक 19.03.2005 को निरस्त कर दिया गया। जिससे असंतुष्ट होकर आवेदक द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी देवसर के न्यायालय में प्रस्तुत की जिसे उनके द्वारा अवधि बाह्य मानते हुए निरस्त की जिससे दुखित होकर द्वितीय अपील अपर आयुक्त सीधी संभाग रीवा के न्यायालय में प्रस्तुत की जो प्रकरण कमांक 1437 / अपील / 2010–11 में पारित आदेश दिनांक 27.09.17 पारित करते हुए अपील निरस्त की। इसी से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि अपर आयुक्त द्वारा पारित आलोच्य आदेश नैसर्गिक न्याय सिद्धांत एवं विधि प्रकिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।तत्कालीन तहसीलदार द्वारा भूमि स्वामी अधिकारों का प्रदान विशेष उपबंध अधिनियम 1984 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिसे संबंधित हल्का पटवारी के प्रतिवेदन एवं प्रस्तुत राजस्व अभिलेख के आधार पर आवेदक का कब्जा दखल पाते हुए दिनांक 24.04.2004 को व्यवस्थापन पट्टा जारी किया गया था। तदोपदांत आवेदक के विरोधियों

द्वारा झूठी शिकायत करने पर व्यवस्थापन का पट्टा निरस्त कर उपरोक्त भूमि म0 प्र0 शासन दर्ज किए जाने का आदेश दिनांक 19.03.05 को जारी किया गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में यह भी कहा गया है कि आवेदक अर्सा पूर्व से देदीना कब्जा दखल था। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभिलेख का अवलोकन किए वगैर मनमाने तौर से विधिक तत्वों को दरकिनार करते हुए आदेश पारित किया जो निरस्त किये जाने योग्य है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार कर अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 27.09.17 निरस्त किये जाने का अनुरोध किया है।

4– आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि तत्कालीन तहसीलदार देवसर द्वारा आवेदक का आवेदन पूर्व में आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया था। तहसीलदार द्वारा आवेदक को नोटिस जारी कर उसका जबाव देते हुए प्रश्नाधीन भूमि निस्तार भूमि पाये जाने के कारण पूर्व में पारित व्यवस्थापन आदेश निरस्त कर भूमि को म0 प्र0 शासन के मद में दर्ज की गई। अनुविभागीय अधिकारी देवसर द्वारा अपील अवधि बाह्य मानते हुए निरस्त की गई। प्रकरण में मुख्य विचारणीय बिन्दु यह है कि हल्का पटवारी द्वारा गलत प्रतिवेदन देकर व्यवस्थापन कराने में

सहयोग प्रदान किया। तहसीलदार द्वारा प्रकरण में पुनरावलोकन की अनुमति लेते हुए तहसीलदार द्वारा आदेश निरस्त किया गया तथा भूमि मध्यप्रदेश शासन में दर्ज करने के आदेश दिये। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण को

अवधि बाह्य मानते हुए अपील निरस्त की है जिसे अपर आयुक्त द्वारा पुष्टि की गई है। अपर आयुक्त का आदेश विधि प्रावधानों से उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

5– उपरोक्त विवेचना के आधार पर श्री अमर सिंह बघेल अपर कमिश्नर श्रृंखला न्यायालय सीधी, रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 1437/अपील/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 27.09.2017 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। परिणामस्वरूप आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी अग्राह्य की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजी जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

सदस्य